झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट) सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार , दिनांक– 30 पौष, 1938 (श0) / 20 जनवरी, 2017 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0स0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17–	अ0सू0–01	श्री बिरंची नारायण	संक्रमण से मुक्त कराना	स्वा0चि0	12/01/17
18–	अ0सू0–02	श्री बिरंची नारायण	लाइसेंस उपलब्ध कराना	स्वा0चि0	12/01/17
19–	अ0सू0–14	श्री सुखदेव भगत	नियुक्ति करना	राजस्व निबंधन	13/01/17
20–	अ0सू0–03	श्री अशोक कुमार	भूमि बंदोबस्त कराना	राजस्व निबंधन	12/01/17
21–	अ0सू0–11	श्री सुखदेव भगत	चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना	स्वा0चि0	13/01/17
22–	अ0सू0–07	श्री राजकुमार यादव	भूमि उपलब्ध कराना	राजस्व निबंधन	12/01/17
23–	अ0सू0–06	श्री राजकुमार यादव	भूमि उपलब्ध कराना	राजस्व निबंधन	12/01/17
24–	अ0सू0–12	श्री मनीष जयसवाल	योजना का लाभ देना	स्वा0चि0	13/01/17

कृ0पृ0उ0–

1.	2.	3.	4.	5.	6.
25–	अ0सू0–17	श्रीमती गीता कोड़ा	विस्थापित आयोग का गठन	राजस्व निबंधन	15/01/17
26–	अ0सू0–16	श्री नवीन जयसवाल	समान ग्रेड पे देना	श्रम नियोजन	15/01/17
27–	अ0सू0–09	श्री राज सिन्हा	नियुक्ति करना	स्वा0चि0	12/01/17
28–	अ0सू0–08	श्री अरूप चटर्जी	मुआवजा का भुगतान	राजस्व निबंधन	12/01/17
29–	अ0सू0–18	श्रीमती गीता कोड़ा	जमीन की वापसी	राजस्व निबंधन	15/01/17
30–	अ0सू0–13	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	फुड ऑफिसर की नियुक्ति	स्वा0चि0	13/01/17
31–	अ0सू0–10	डॉ0 जीतू चरण राम	ऐम्स स्थापित कराना।	स्वा0चि0	12/01/17

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–20 जनवरी, 2017

ज्ञाप सं0– 07/2016 .....629..... /वि0स0, राँची, दिनांक– 16/1/17

प्रति :–झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.1.17
(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0– 07/2016 .....629..... /वि0स0, राँची, दिनांक–16/1/17

प्रति :– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.1.17
(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0– 07/2016 .....629..... /वि0स0, राँची, दिनांक– 16/1/17

प्रति :– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑन लाईन शाखा, प्रश्न शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.1.17
(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

16.01.17

(17)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0सं0:–15 / वि0स0–07–02 / 2017 28 (15) राँची / दिनांक:– 18-01-17

प्रेषक,

मनोज कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय:– विधानसभा में दिनांक 20.01.17 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–01 का हस्तांरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सानुलग्नक श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–01 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि मूल प्रश्न नगर विकास विभाग से संबंधित रहने के कारण हस्तांरित किया जा रहा है एवं तद्नुसार सूचना सभा सचिवालय को भी दे दिया गया है। उक्त प्रश्न में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कंडिका की उत्तर सामग्री नीचे अंकित किया गया है। शेष कंडिकाओं में उत्तर सामग्री अंकित करते हुए झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उत्तर भेजते हुए उसकी प्रति विभाग को भी अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विरंची नारायण, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो समेत राज्यभर के सड़कों, गली माहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक है और ये लोगों को काट रहें हैं, जिससे लोग रेबिज का शिकार हो रहें है ;	नगर विकास विभाग से संबंधित।
2. क्या यह बात सही है कि केवल सदर अस्पताल, राँची में ही इस वर्ष अबतक 25425 से अधिक लोगों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है और करीब राज्य के समस्त अस्पतालों से ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है ;	राँची जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में वर्ष 2016 में 41178 रोगियों को कुल 164712 डोज ARV की दवा दी गयी है। वर्ष 2017 में दिनांक 17.01.17 तक 2804 रोगियों को कुल 14020 की ARV की डोज दी गयी है। कुल रोगी –43982, कुल डोंज– ARV –178732
3. या यह बात सही है कि राज्यभर के सभी आवारा कुत्तों को विभाग द्वारा एंटी रेबीज का टीका नहीं लगवाया गया है,	नगर विकास विभाग से संबंधित।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक अभियान के तहत् राज्यभर के समस्त आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका लगवाकर नागरिकों को इस संक्रमण से मुक्त करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नगर विकास विभाग से संबंधित।

18/01/17
(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 28 (15) दिनांक:– 18-01-17

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके कार्यालय के ज्ञाप सं0 270 दिनांक 12.01.17 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/17
सरकार के उप सचिव।

(18)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में दवा दुकानदारों का ऑनलाईन लाईसेंस देने की कार्रवाई की जा रही है ;	स्वीकारात्मक। दिनांक– 06.06.16 से झारखण्ड राज्य में विक्रय हेतु औषधि अनुज्ञप्ति Online निर्गत की जा रही है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य में करीब 20 हजार से अधिक खुदरा एवं हॉलसेल दवा दुकानदार है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य में खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठान की संख्या लगभग 11086 है।
3-	क्या यह बात सही है कि राज्य में फार्मासिस्टों की संख्या करीब 2 हजार के आस– पास ही है, जो की दवा दुकानों की तुलना में काफी कम है ;	अस्वीकारात्मक। निबंधक, झारखण्ड राज्य फार्मेसी निबंधन ट्रिब्यूनल, रांची के अनुसार राज्य में निबंधित/नवीकृत फार्मासिस्ट की संख्या लगभग 5018 है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दवा दुकान के लाईसेंस हेतु फार्मासिस्टों की बाध्यता को समाप्त करते हुए विज्ञान स्नातकों को भी दवा ब्रिकी का लाईसेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं उसके अधीन विनिर्मित नियमावली 1945 के नियम– 65 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार अग्रेजी दवा दुकान में फार्मासिस्ट रखा जाना अनिवार्य है। यह केन्द्रीय कानून है। इस अधिनियम एवं नियमावली में भारत सरकार द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 16/वि0स0 (अ0सू0)–13-01/17 10 (16) राँची, दिनांक– 19-1-17
प्रतिलिपि : अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 269 दिनांक– 12-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री सुखदेव भगत, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–14 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री सुखदेव भगत, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह सही है कि विभाग में अंचल पदाधिकारियों के 130 पद, जिला भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के 23 पद और जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के 18 पद रिक्त हैं,		स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति का काम पूरा करा लेने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?		अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा की जाती है। अंचल अधिकारियों के 130 रिक्त पदों, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के 23 रिक्त पदों एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के 18 रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभागीय पत्रांक–6234, दिनांक–01.12.2016 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त होने के पश्चात् रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–2/राज.स्था.वि.स. (अल्पसूचित)–12/2017 271 (2)/रा., राँची, दिनांक– 18-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–420/वि.स., दिनांक–13.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.17
सरकार के संयुक्त सचिव

Computer/D/All folder/Vidhan Sabha-16/Manoj

(20)

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–सा0–03 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखंड के ग्राम–मधुसुदनपुर (घोरीकित्ता), मौजा–घोरिकित्ता नं0–347, दाग नं0–668, 669, किस्म–परती कदीम जमीन पर निरंजन राम, मुकेश राम, बनवारी तांती, भैरी मिस्त्री, हीरा ठाकुर, जैसे करीब दो दर्जन भूमिहीन गरीब परिवार वर्षों से सपरिवार रह रहे है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मौजा–घोरिकित्ता नं0–347 के दाग नं0–251, 276, 278 एवं 314 जिसका सर्वे खतियान में किस्म–जमीन परती कदीम है, पर लगभग 24 परिवार एवं दाग नं0 315 जिसका किस्म ज़मीन गोचर है पर कुल 7 परिवार जिसमें से अधिकांश का झोपड़ी/कच्चा मकान है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित सरकारी जमीन पर रह रहे परिवारों के पास रहने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है ;	जाँच प्रक्रिया अंतर्गत है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित सरकारी भूमि पर रह रहे उन सभी भूमिहीनों को वह भूमि बंदोवस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जाँचोपरान्त सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को नियमानुसार भूमि बंदोबस्ती करने की कार्यवाही की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 05/2017 286 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–272/वि0स0, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री सुखदेव भगत, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न सं0– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुखदेव भगत, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत् राज्य के जमशेदपुर, दुमका, पलामू और गुमला में चल रहे मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से गुमला में चिकित्सक नहीं हैं जबकि दुमका केन्द्र में एक साल से दवा की आपूर्त्ति नहीं हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चिकित्सक नहीं होने के कारण रिनपास से टीम भेजी जाती है। साथ ही मनोचिकित्सक की सेवा बाह्य स्त्रोत से प्राप्त करने का भी प्रावधान है। इसके लिए राशि जिलों को आवंटित है। एन0एच0एम0 द्वारा मनोचिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलों में दवा क्रय की गई है जिसमें दुमका जिला भी है। वित्तीय वर्ष, 2016–17 के मार्च तक की दवा जिला में उपलब्ध है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है , हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड में उल्लेख कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–12/ रिनपास (वि0स0)–05–02/2017 11(12) स्वा0/राँची/दिनांकः– 19/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 417 दिनांक 13.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

तिर्की 19.1.17
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के अवर सचिव।

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. 07 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्री राज कुमार यादव, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गावां प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम–तियरजोरी, पंचायत–गांवां में आदिम जनजाति बिरहोर के 7–8 परिवार भूमिहीन है और झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इन उपरोक्त परिवार में कुल आबादी की संख्या लगभग 40 है और भूमि के अभाव में इंदिरा आवास से वंचित है,	2. आवास दिलाने हेतु प्रक्रिया चल रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार आदिम जनजाति के बिरहोर परिवारों को संरक्षण के लिए भूमिहीनों को आवास निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराकर भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	3. बिरहोर परिवार को वनाधिकार के तहत एक माह के अन्दर भूमि आवंटित कर वनाधिकार पट्टा निर्गत कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–05/स.भू. गिरि. (वि.स.अ.सू.) – 04/2017 284 (05)/रा., दिनांक– 19-01-17
प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–275/वि.स., दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/1/17
सरकार के संयुक्त सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजकुमार यादव, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में निवास कर रहे गरीब, पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आदिम जनजाति एवं सामान्य जाति के लोग अबतक भूमिही एवं बेघर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को सरकारी भूमि बंदोबस्ती करने की पूर्व से ही सरकारी नीति है। उक्त नीति के आलोक में सरकारी भूमि बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जाति के लोग गावों में शहरों में झोपड़ी पट्टी, सड़क/रोड किनारे/कालोनियों के खाली जगहों पर/खुली जगहों पर टाट, बोरे के घेरे में निवास करते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों द्वारा उनसे संबंधित अंचल/अनुमंडल/जिला में आवेदन प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त ऐसे भूमिहीनों, बेघरों को पूरे राज्य में सर्वे कराकर भूमिहीन लोगों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों को बंदोबस्ती करने का विचार रखती है। सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार जाँचोपरान्त सरकारी भूमि की बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 09/2017 285 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–274/वि0स0, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/17

सरकार के संयुक्त सचिव

E:\sec3\bidhan sabha\Prasnuttar jan 17.docx

MOMENTUM JHARKHAND

(24)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 27 राज्यों के 275 जिला अस्पतालों में मात्र 800 रू0 में गुर्दे की डायलिसिस योजना को मंजूरी दी गयी है, जिसमें झारखण्ड के 8 जिलों के अस्पतालों को शामिल की गयी है ;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित योजना का लाभ उक्त अस्पतालों में लोगो को दिसम्बर, 2016 से देना था, जो अबतक लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड– 01 में वर्णित 08 जिलों का नाम उपलब्ध कराते हुए उक्त योजना का लाभ लोगों को चालू वित्तीय वर्ष में ही देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष में शीघ्र शुरू की जायेगी। डायलिसिस की सेवा निम्न 08 जिलों में शुरू करने की योजना है :– बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, चाईबासा, धनबाद, गुमला, हजारीबाग एवं पलामू।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-04/17 -30(15) राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 418 दिनांक– 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/17

सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. 17 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि राज्यभर में 1894 की भू–अर्जन अधिनियम Repealed कर लारा अधिनियम–2013, 1 जनवरी, 2014 को लागु कर दी गई है,	1. स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित 1894 L.A. Act से राज्य में लाखों विस्थापित परिवार प्रभावित है, जिसका आजतक मुकम्मल पुनर्वास–पुनर्स्थापन नहीं हो पाया है तथा उक्त अधिनियम का दुरूपयोग के कारण अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि रैयतों को वापस नहीं किया गया है,	2. दिनांक–01.01.2014 के प्रभाव से भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 देशभर में (जम्मू–कश्मीर छोड़कर) लागू किया गया है। जिसके धारा–24(2) में प्रावधान है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में, जहाँ धारा–11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पाँच वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया है किन्तु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहाँ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि यह व्ययगत हो गई है और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा चुनाव करे, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ नए सिरे से आरम्भ करेगी। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–101 के अनुसार अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रह जाती है तो उसे यथास्थिति भू–स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या सरकार के भूमि बैंक में वापस करने हेतु प्रावधान किया गया है। जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित भू–अर्जन नियमावली, 2015 के नियम–37 में अतिरिक्त भूमि को भूमि बैंक में वापस करने का प्रावधान किया गया है।

क्र0पृ0उ0

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड–2 में वर्णित विषय के आलोक में लारा अधिनियम–2013 के तहत पूर्व के विसथापित रैयतों के बेहतर पुनर्वास–पुनर्स्थापन तथा अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस करने हेतु "विस्थापित आयोग" बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?	3. विस्थापित रैयतों के बेहतर पुनर्वास–पुनर्स्थापन हेतु RFCTLARR Act, 2013 की धारा–43 के आलोक में जिला के अपर समाहर्त्ता को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक, धारा–44 के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त एवं धारा–45 के आलोक में उपायुक्त की अध्यक्षता में परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति गठित किया गया है, ताकि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा संबंधित जिलों में आसानी से मिल सके तथा मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके। धारा–45 के आलोक में राज्य सरकार स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने हेतु विकास आयुक्त/सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। धारा–51 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रमंडल के मुख्यालय में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु नियमावली में प्रावधान किया गया है परन्तु प्राधिकार की स्थापना होने तक झारखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से प्रमंडलीय स्तर पर जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः उपर्युक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधिनियम के उपबंधों के अक्षरशः अनुपालन के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। इस परिस्थिति में वर्तमान में विस्थापित आयोग बनाने के संबंध में सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–8/बी.भू.अ.नि.वि.स. (अ.सू.)–09/2016 70/रा., दिनांक–18-01-17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–608/वि.स., दिनांक–15.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
18/1/17

(26) 88 19.1.2017

श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक-20.01.2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या - अ0सू0-16 का उत्तर सामग्री -

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री नवीन जयसवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड सरकार।
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि हमारे झारखंड राज्य में सभी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में केवल मोटर चालक अनुदेशकों को ग्रेड पे-1900/- दिया जाता है, परन्तु बाकी ट्रेड के अनुदेशकों को ग्रेड पे-4200/- दिया जाता है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि DGT (Directorate General of Training) के नियमानुसार भारत के सभी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी अनुदेशकों को एक समान ग्रेड पे देने का प्रावधान है। बिहार नियुक्ति नियमावली में भी सभी अनुदेशकों को ग्रेड पे-4200/- दिया जा रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखंड राज्य में सभी अनुदेशकों को एक समान ग्रेड पे देने संबंधी विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालक अनुदेशक एवं व्यवसाय अनुदेशक की योग्यता एवं अहर्त्ता अलग अलग है जो निम्न प्रकार है :- झारखंड राज्य औ0प्र0 सेवा नियमावली अधिसूचना संख्या-1049 दिनांक-28.11.08 में निहित प्रावधान में मोटर चालक अनुदेशक का सीधी नियुक्ति 100% प्रोन्नति-शून्य योग्यता- प्रवेशिकोत्तीर्ण एवं ड्राईविंग लाईसेन्स प्राप्त वांछनिय योग्यता निर्धारित है एवं वेतनमान् अपुनरीक्षित रू0 3050-4590 पुनरीक्षित वेतनमान्-5200-20200/- ग्रेड पे-रू0 1900/- देय है। शेष व्यवसाय अनुदेशकों के लिए योग्यता प्रवेशिकोत्तीर्ण, संबंधित व्यवसाय से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अथवा संबंधित शाखा में डिप्लोमा / डिग्री एवं पॉच वर्ष का कार्यानुभव तथा ग्रेड पे- 4200 देय है।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(वि0स0)-08/2017- 88 रॉची, दिनांक :- 19/01/2017

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0-607 दिनांक-15.01.2017 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को प्रस्तुत अल्पसूचित प्रश्न संख्या –09 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि धनबाद के PMCH कॉलेज में बीस (20) विभाग संचालित है जबकि अधिकांश विभागों में प्रोफेसरों, चिकित्सकों की कमी है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है, कि उक्त कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी के कारण PG की पढ़ाई आरंभ नहीं हो पायी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में PG की पढ़ाई की अनुमति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाती है। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद के कुल– 16 विभागों में पी0जी0 की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण– पत्र एवं Undertaking निर्गत कर प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, धनबाद के ज्ञापांक– 674/पी0एम0सी0 दिनांक– 18.05.13 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, परन्तु भारत सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है। पुनः पी0एम0सी0एच0, धनबाद में पी0जी0 की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु विभागीय पत्रांक–23(9) दिनांक 18.01.17 द्वारा अनापत्ति प्रमाण– पत्र एवं एवं पत्रांक–24(9) दिनांक 18.01.17 द्वारा Undertaking निर्गत किया गया है जिसकी प्रति प्राचार्य, पी0एम0सी0एच0, धनबाद को भेजा गया है। तद्नुसार प्राचार्य द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।
3-	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कॉलेज में प्रोफेसर, चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सा महाविद्यालय में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक– 16.01.17 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किया जा चुका है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी– 06–01/17 32(9) राँची, दिनांक– 19/01/17

प्रतिलिपि : अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 271 दिनांक– 12-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17

सरकार के उप सचिव

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08 का उत्तर ।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद, गिरिडीह जिला में NH2 जी0टी0 रोड किनारे के भूमि की खरीद बिक्री में निबंधन शुल्क परती भूमि का भी आवासीय दर पर लिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक। धनबाद एवं गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजावार कृषि एवं आवासीय दोनों प्रकार का सरकारी दर निबंधन हेतु निर्धारित है। भूमि के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप ही कृषि अथवा आवासीय दर पर भूमि का निबंधन किया जाता है। आठ डिसमील तक भूमि का निबंधन शुल्क आवासीय दर पर लिया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में NH2 के चौड़ीकरण में परती भूमि का मुआवजा कृषि दर पर दिया जा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद एवं गिरिडीह जिलान्तर्गत संबंधित मौजा के खतियान में वर्णित भूमि के स्वरूप के अनुरूप ही NHAI का 3D अधिघोषणा किया गया था तथा उसके अनुरूप ही भूमि का दर निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NH2 के विस्थापित रैयतों को निबंधन शुल्क के आधार पर आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रैयत से आपत्ति प्राप्त होने पर राजस्व विभागीय पत्रांक–606, दिनांक–08.08.2016 द्वारा गठित छः सदस्यीय दल के द्वारा अर्जित भूमि के खतियान में निहित प्रकृति/प्रकार एवं वर्तमान स्वरूप तथा प्रकार के बिन्दु पर विवादों को दूर करते हुए जाँचोपरान्त भूमि के मूल्यांकन में सुधार कर रैयतों को भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0 वि0स0 (अ0सू0)– 07/2017 73/रा0 राँची, दिनांक– 19-01-17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–262/वि0स0, दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.17

सरकार के उप सचिव

(29)

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.01.2017 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू. 18 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीया स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सैरात का विकास आदिवासियों की अवैध रूप से अंतरित जमीन की वापसी हेतु वैधिक सहायता तथा राजस्व कचहरी/दामिन बंगला का निर्माण कराये जाने हेतु सदन से प्रस्ताव पारित कराया गया था।		1. आंशिक स्वीकारात्मक। (क) सैरात की बंदोबस्ती संबंधी कार्य विभागीय संकल्प संख्या–1376, दिनांक–01.04.2015 एवं संकल्प संख्या–5012, दिनांक–16.09.2016 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) एवं शहरी स्थानीय निकायों के सैरात संबंधी कार्य नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या–4125, दिनांक–17.10.2013 द्वारा नगर विकास विभाग को हस्तांतरित है। (ख) आदिवासियों की अवैध रूप से अंतरित जमीन की वापसी हेतु वैधिक सहायता के निमित्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित रू0 1.00 (एक) करोड़ की स्वीकृति देते हुए सभी जिलों को राशि आवंटित की गई है। (ग) वित्तीय वर्ष 2016–17 में 76 राजस्व कचहरी, 06 डाक बंगला एवं 01 मानकी मुण्डा विश्राम गृह की स्वीकृति देते हुए विभिन्न जिलों को राशि आवंटित की गई है। निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं को अभी तक धरातल पर उतारा नहीं गया है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है,		2. उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड–1 में वर्णित बजटीय प्रावधान के तहत सैरात का विकास आदिवासियों की अवैध रूप से अंतरित जमीन की वापसी हेतु वैधिक सहायता तथा राजस्व कचहरी/दामिन बंगला का निर्माण सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?		3. उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट में भी इन कार्यों के लिए बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–10/वि.स.(अ.सू.)–01/2017 270/रा.(10)/रा., दिनांक– 18-01-17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–609/वि.स., दिनांक–15.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

Vidhan sabha (lalit)

श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 20-01-2017 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदन–

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक जिला में फुड ऑफिसर के नहीं रहने के कारण खाद्य एवं पेय पदार्थों के गुणवता की नियमित जॉच नहीं हो पा रही है, जिसके कारण नकली खाद्य एवं पेय पदार्थों के बिक्री से बच्चे एवं आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं इसके अधीन विनिर्मित नियमावली– 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो की गुणवता के नियंत्रण हेतु जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को अभिहीत पदाधिकारी (Designated Officer), शहरी क्षेत्रों के लिए 28 चिकित्सा पदाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त दो खाद्य निरीक्षकों से भी पूर्णकालिक खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का कार्य लिया जा रहा है। इनके द्वारा खाद्य पदार्थों की जॉच हेतु नमूनों का संग्रहण किया जाता है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से आजतक सिर्फ 190 नकलचीयों को ही चिन्हित किया गया, उन चिन्हितों पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई ;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा खाद्य जॉच प्रयोगशाला की स्थापना सितम्बर 2012 में की गयी है। इस प्रयोगशाला में अबतक राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त कुल 3771 खाद्य नमूनों की जॉच की गयी है। जॉचोपरांत कुल 686 नमूनें असुरक्षित, निम्नस्तरीय, मिथ्याछाप (Unsafe, Substandard, Misbrand) पाये गये जिनपर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई जिलों के अभिहीत पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों की उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में फुड ऑफिसर के पदों को भरते हुए नकली सामग्री बेचने वालों पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 16/वि0स0 (अ0सू0)–13-02/17 11(16) राँची, दिनांक– 19-1-17

प्रतिलिपि : अपर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 419 दिनांक– 13-01-17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17
सरकार के उप सचिव

Tiwari

डॉ0 जीतू चरण राम, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 20.01.17 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न सं0– 10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 जीतू चरण राम, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि काँके विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पागल खाना रिनपास के चहारदीवारी के बाहर 90 एकड़ स्वास्थ्य विभाग का भूखंड खाली है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रिनपास इस जमीन पर कोई कार्य नहीं कर रहा है ;	अस्वीकारात्मक। रिनपास द्वारा Neuro-Science Centre खोले जाने की योजना तैयार किया जा रहा है। वर्त्तमान में मरीजों के हित में बगान का कार्य किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उस भूखण्ड पर राज्य के राजधानी राँची के काँके रिनपास के पास अखील भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) स्थापित करने का विचार रखती है , यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में उल्लेख कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–12/ रिनपास (वि0स0)–05–01/2017 12(12) स्वा0/राँची/दिनांकः– 19/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 268 दिनांक 12.01.17 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

19.1.17
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के अवर सचिव।